



भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. AU/7/2017/STGMP/DEOTH/RU-III

दिनांक: 17-04-2018

सिटिंग नोटिस

विषय: तोतलाढोह जलाशय बांध से विस्थापित 305 मछुआरों को रोजगार दिलाने बाबत- श्री आशाराम उइके पूर्व अध्यक्ष विस्थापित जय बजरंग आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति गुमतरा, पोस्ट पाथरी तहसील बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (अभ्यावेदन दिनांक 06.04.2018 की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई पर छिंदवाड़ा कलेक्टर के कार्यालय में दिनांक 27.04.2018 को 02.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा के कार्यालय में परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. जिला कलेक्टर, छिंदवाड़ा से अनुरोध है कि उपरोक्त बैठक दिनांक 27.04.2018 के लिए जरूरी व्यवस्था भी करें।

2774-82
17/4/18

डिप्टी कमिश्नर
(डी.एस.कुभारे) 17/4/2018
अवर सचिव
दूरभाष-24657271

सेवा में,

- | | | |
|--|---|---|
| 1. कलेक्टर,
जिला-छिंदवाड़ा,
(मध्य प्रदेश) | 2. कलेक्टर,
जिला-सिवनी,
(मध्य प्रदेश) | 3. जिला वन पदाधिकारी
जिला सिवनी,
(मध्य प्रदेश) |
| 4. जिला वनाधिकारी,
जिला छिंदवाड़ा,
(मध्य प्रदेश) | 5. सहायक निदेशक,
जिला मत्स्य विभाग
जिला छिंदवाड़ा,
(मध्य प्रदेश) | 6. उप निदेशक,
जिला मत्स्य विभाग,
जिला सिवनी,
(मध्य प्रदेश) |

प्रतिलिपि:

1. अनुसंधान अधिकारी, कमरा संख्या 309 निर्माण सदन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 भी उक्त तिथि को छिंदवाड़ा बैठक में मौजूद रहें।
2. श्री आशाराम उइके पूर्व अध्यक्ष विस्थापित जय बजरंग आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति गुमतरा, पोस्ट पाथरी तहसील बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) भी कृपया बैठक में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित रहें।
3. निदेशक, मत्स्य विभाग, मध्य प्रदेश(भोपाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. SAS, NIC